बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

संकल्प

संख्याः–3प/विविध–17–20/2018–4046/पं०रा० पटना, दिनांक 25/07/2018

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत तकनीकी सहायकों के 2096 एवं लेखापाल –सह–आई.टी. सहायकों के 2096 पद पर संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।

राज्य सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

2. दोनों योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक एवं तकनीकी सहायकों की तुरंत व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इन पदों पर कर्मियों की सेवा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करके मानदेय आधारित चयन कर उपलब्ध कराई जाएगी।

3. चयन के संबंध में निम्नवत् मुख्य प्रावधान होंगे :–

(i) प्रत्येक जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुसार चार पंचायत पर एक की दर से लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक एवं चार पंचायत पर एक की दर से तकनीकी सहायक के पद मान्य होंगे।

(ii) प्रमंडल को इकाई मानते हुए आदर्श रोस्टर के अनुसार आरक्षण के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा। प्रमंडल के अंतर्गत पड़ने वाले जिलों को संबंधित जिले की रिक्ति के अनुसार, क्रमवार रोस्टर बिन्दु, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा आवंटित किया जाएगा। इस क्रम में प्रमंडल के अंतर्गत पड़ने वाले जिलों को अल्फाबेटिकल क्रम में सजाकर रोस्टर बिन्दु आवंटित किया जाएगा।

(iii) **आरक्षण :**

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 (अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान एवं संकल्प संख्या–963 दिनांक 20.01.2016 द्वारा यथा विहित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर,

25.7.18

यथा विहित रोस्टर एवं आरक्षण के प्रावधान इस मानदेय आधारित नियुक्ति में लागू होंगे।

(iv) आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किए जायेंगे। इसके लिए एन0आई0सी0 के माध्यम से विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित कराया जायेगा। आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकेगा। दोनों पदों के लिए पात्रता होने पर अलग–अलग आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

4. **शैक्षणिक अर्हत्ता एवं चयन की प्रक्रियाः** लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी0 कॉम होगी। बी0 कॉम में प्राप्त प्रतिशत अंक इस प्रयोजनार्थ अंक माने जायेंगे। बी0कॉम के उपरान्त एम0कॉम/ सी0ए0 करने वाले अभ्यर्थियों को 20 अंकों का बोनस दिया जाएगा। बी0 कॉम में प्राप्त अंकों तथा उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी। चयनित कर्मियों को 3 माह में कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी।

5. तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेकनिक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। ऑनलाईन आवेदनों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40 प्रतिशत पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेकनिक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे।

6. मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

7. यह चयन दिनांक 31 मार्च, 2020 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

8. दोनों पदों पर चयन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन निम्नवत् होगा :–

(i) जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ii) उप विकास आयुक्त – उपाध्यक्ष

(iii) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के एक पदाधिकारी (जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे) – सदस्य

(iv) अल्पसंख्यक वर्ग के एक पदाधिकारी (जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे) – सदस्य

(v) जिला पंचायत राज पदाधिकारी – सदस्य सचिव

25.7.18

9. **उम्रसीमा:** दोनों पदों के लिए उम्र सीमा राज्य सरकार द्वारा सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुरूप होगी।

10. **प्रतीक्षा सूची:** प्रत्येक वर्ग की मेधा सूची के अतिरिक्त 50 प्रतिशत अधिक उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जो चयन की तिथि से आगे एक वर्ष के लिए वैध होगी। इस प्रतीक्षा सूची में से वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों को भरा जा सकेगा।

11. संविदा शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा किया जाएगा।

12. प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर चयनित कर्मी को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा। वे किसी भी कर्मी को हटाने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे।

13. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

14. इन कर्मियों को वर्ष में 16 दिनों की आकस्मिक अनुपस्थिति अनुमान्य होगी।

15. **मानदेय:** इन कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय देय होगा। तत्काल लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक को 20,000/– रूपया प्रतिमाह एवं तकनीकी सहायक को 27,000/– रूपया प्रतिमाह का मानदेय अनुमान्य होगा। इसमें समय–समय पर वित्त विभाग की सहमति से वृद्धि की जा सकेगी।

16 मानदेय के आधार पर चयनित ये कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

17 मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

18. लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक एवं तकनीकी सहायक के मानदेय भुगतान हेतु अनुमान्य व्यय का आँकलन निम्न रूप से किया जाता है :–

25.7.16

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	मासिक भुगतेय मानदेय	12 माह का अनुमानित मानदेय
1	2	3	4	5
1	तकनीकी सहायक	2096	27000.00	67,91,04,000.00
2	लेखापाल–सह–आई0 टी0 सहायक	2096	20000.00	50,30,40,000.00
	कुल :–			**1,18,21,44,000.00**
	(एक अरब अठारह करोड़ इक्कीस लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र			

दोनों निश्चय योजनाओं के बजटीय उपबंध की अधिकतम 2 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय हेतु कर्णांकित करके उसमें से इन कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

शेष राशि की व्यवस्था राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अनुदान मद में उपलब्ध कराई गई राशि में से किया जाएगा।

19. लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक के निम्नवत् दायित्व होंगे :–

(i) सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति के लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

(ii) अभिलेखों का विधिसम्मत् संधारण सुनिश्चित कराना।

(iii) ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही का संधारण कराना।

(iv) ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरणी तैयार कराना।

(v) अंकेक्षण सम्पन्न कराना।

(vi) सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।

(vii) e-Panchayat का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

(viii) जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले अन्य आवंटित कार्यों को सम्पन्न कराना।

20. तकनीकी सहायक का निम्नवत् दायित्व होगा :–

(i) तकनीकी प्रबंधन सुनिश्चित करना।

(ii) वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा क्रियान्वित होने वाले कार्यों का प्राक्कलन बनाना।

25.7.18

(iii) तकनीकी अनुश्रवण, मापी–पुस्तिका संधारण, कार्यों का निरीक्षण, ऑनलाईन रिपोर्टिंग, गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करना।

(iv) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी/ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर आवंटित अन्य कार्य।

21. सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा चयन की प्रक्रिया में खुलापन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर उचित दिशा–निर्देश जारी किया जा सकेगा।

ओदशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

25.7.18

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3प/विविध–17–20/2018–4046/पं०रा० पटना, दिनांक 25/07/2018

प्रतिलिपिः–महालेखाकार बिहार, वीर चन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.7.18

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3प/विविध–17–20/2018–4046/पं०रा० पटना, दिनांक 25/07/2018

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा करें।

25.7.18

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3प/विविध–17–20/2018–4046/पं०रा० पटना, दिनांक 25/07/2018

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज

पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ अग्रसारित।

25.7.18

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3प/विविध–17–20/2018–5046/पं०रा० पटना, दिनांक 25/07/2018

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार विधान सभा/ मुख्यमंत्री सचिवालय/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

25.7.18

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3प/विविध–17–20/2018–5046/पं०रा० पटना, दिनांक 25/07/2018

प्रतिलिपिः–आई०टी०प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट **www.biharprd.nic.in** पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

25.7.18

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव